तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	
20/05/22	प्रार्थी / वादी / अपीलेंट के वकील श्री जगदीश बिश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 111, 120 RLR Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/06/22 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	डाक द्वारा नोटिस 470 20/05/22
23/06/22	पत्रावली आज [illegible] पेश हुई। विपक्षीगण के समक्ष तामील अज वकील [illegible] नहीं। इंतजार हो आइन्दा पत्रावली दि. [illegible] को पेश हो। विपक्षी सं. 1 ता 5, 7, 8, 10 ता 24 की ओर से वकील शिवाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। (हस्ताक्षर)	
1/7/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 5/7/22 को पेश हो ।	
5/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण व विपक्षीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षीगण व विपक्षीगण के अधिवक्ता को कोई समय दे तीन बार तीन-तीन आवाजें [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	कराके दिलाने के विभाजितिकरण व विभाजीकरण के अधिवक्ता अनुपस्थित आए। विभाजीकरण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। आदेश मय के शामिल कराया जाकर खुले न्यायालय में खरे इजलास सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

संख्या: 85/2022

प्रार्थीगण :-

1. रामाराम पुत्र भैराराम
2. कुम्भाराम पुत्र भैराराम
3. गवरी पत्नि भैराराम
4. मधुराराम पुत्र केसाराम
5. हीराराम पुत्र केसाराम
6. भीयाराम पुत्र केसाराम
7. सोनू देवी पत्नि केसाराम
8. उम्मीदेवी पत्नि डूंगराराम
9. नाबालिग हरीश सौरभ पुत्र डूंगराराम संरक्षक माता उम्मीदेवी
10. रामाराम पुत्र भैराराम
11. जुजाराम पुत्र भैराराम
12. जैताराम पुत्र भैराराम
13. हनवुदेवी पत्नि भैराराम
14. उगमाराम पुत्र पेमाराम
15. पुखराज पुत्र पेमाराम
16. भागाराम पुत्र कानाराम
17. मालमा पुत्र तेजा (फौत) के वारसान मुजान
    17/1 बनाराम पुत्र मालमा
    17/2 हेमाराम पुत्र मालमा
    17/3 रामाराम पुत्र मालमा
    17/4 पुरीदेवी पत्नि मालमा
18. प्रतापा पुत्र कान्हा
19. वीरदी पुत्री कान्हा

जाति जाट निवासी बेरडी का धाना, रामजी का गोल तहसील गुडामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसाराम पुत्र रामसिंह
2. गोरखाराम पुत्र रामसिंह
3. हिम्ताराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी लीलसर तहसील धोरीमन्ना
4. तुलछाराम पुत्र रामसिंह
5. हनुमान पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी डबोई तहसील गुडामालानी
6. उदा पुत्र राम
7. गेनाराम पुत्र नरसिंगाराम
8. गोरधन पुत्र मूला
9. सैनीपत्नी मूला
10. जसाराम पुत्र किशनाराम
11. ठाकराराम पुत्र भेराराम
12. डूंगराराम पुत्र किशनाराम
13. ताजा पुत्र मूला
14. दलूदेवी पत्नि भेराराम
15. धर्मा पुत्रदेराम
16. पेमा पुत्र मूला
17. पूराराम पुत्र नरसिंगाराम
18. पारूदेवी पत्नि नरसींगाराम
19. बाबूलाल पुत्र नरसींगाराम
20. भीया पुत्र देराम
21. राजू पुत्र मूला
22. सवाईराम पुत्र भेराराम
23. सामू पुत्र भेराराम
24. हेमाराम पुत्र भेराराम
25. रामाराम पुत्र अणदाराम
26. लिछू पत्नि अणदाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

...पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी आदर्श रामेश्वर नगर रामजी का गोल फांटा तह. गुड़ामालानी
...एसबी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
...बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा धोरीमन्ना
30. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
31. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: आदेश :-

दिनांक :- 5/7/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गडी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई उजर एतराज प्रस्तुत नही किया तथा नियत तिथी को विप्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 (2078) से स्थायी सरहद मौजा, आदर्श रामेश्वनगर पटवार हल्का पीपराली के खेत खसरा नम्बर 428 रकबा 8.4013 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा, आदर्श रामेश्वनगर पटवार हल्का पीपराली के खेत खसरा नम्बर 428 रकबा 8.4013 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। ... बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। त... प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 5/7/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी